प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.10.2024

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्ज़े से 55 एटीएम कार्ड, 20 हजार रुपये व घटना में प्रयुक्त बुलैट मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 06-10-2024 को चेकिंग के दौरान थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा HDFC ATM मशीन परशुराम चौक के पास से 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 55 एटीएम कार्ड भिन्न भिन्न बैंकों के, 20 हजार रुपये, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद की गई है। सभी बरामद एटीएम की डिटेलस हेतु सम्बन्धित बैंकों से पत्राचार किया जा रहा है, सभी एटीएम कार्ड वैलिड डेट के है। अभि0 के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण--

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम दोनो यह काम पिछले कई वर्षो से कर रहे हैं। हम दोनो हैलमेट लगाये एटीएम मशीन के अन्दर पहुँचकर, सबसे पहले उसमें हल्की से FEVIQUICK लगा देते है। उसके बाद बाहर खड़े होकर इंतजार करते है, जैसे ही कोई व्यक्ति अन्दर आता है तो हम में से एक उसके पीछे खड़े होकर पिन व एटीएम कौनसी कम्पनी का है देख लेते है। जब वह अपना कार्ड निकालने की कोशिश करता है तो कार्ड मशीन में अटक जाता है तो वह व्यक्ति घबराकर इधर उधर मदद मांगता है तभी हम सफाई के साथ उसका कार्ड निकालकर अपने कार्डों से बदल देते है। उसके जाने के बाद वहां से पैसे निकाल कर भाग जाते है। ये सभी 55 एटीएम कार्ड हमने इसी तरह से इक्कठा किये है। हम दोनो ने मिलकर आश्रम रोड स्थित AXIS BANK ATM, नन्दग्राम मेन रोड पर स्थित INDIAN BANK ATM, HDFC ATM, PNB ATM, राजनगर एक्स0 में AXIS BANK ATM, मोहननगर चौराहा स्थित एटीएम, में भी कई बार इस तरह की घटनाऐं की है।

अभियुक्तगण का नाम व पता--

(1) साहिल पुत्र गयासुद्दीन निवासी म0नं0 216 जमालपुरा , अशोक विहार लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र -24 वर्ष

(2) सलमान अंसारी पुत्र महबुब निवासी म0नं0 116 गिरी मार्किट लोनी थाना लोनी गाजियाबाद उम्र -25 वर्ष

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्तों के विरुद्ध 05 अभियोग एटीएम बदलकर पैसे चोरी करने के संबंध में थाना नन्दग्राम पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण—

(1) अभि0गण के कब्जे से कुल 55 एटीएम कार्ड, विवरण निम्नवत है-HDFC BANK- 09, ICICI BANK- 04, PNB- 07, SBI-08, AXIS BANK- 05, KOTAK BANK-03, BOB BANK- 02, IDFC BANK-03, IDBI BANK-01, INDIAN BANK-01, INDIAN OVERSEAS BANK-01, YES BANK-01, UKO BANK-01, PN&SIND BANK-03, FINO PAYMENT BANK-01, CANERA BANK-03, UJJIVAN SMALL FNC. BANK- 01, FEDERAL BANK-01, UNION BANK- 1

(2) घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल – ROYAL ENFIELD 350 CLASSIC, REG NO-DL14SV 7488, रंग काला।

(3) 20000/- रूपये

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार।

दिनांक 04.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा सैंकडों अज्ञात व्यक्तियो द्वारा जमा होकर डासना देवी मन्दिर के सामने विशेष समुदाय के ईष्ट पर टिप्पणी के विरूद्ध स्वरूप को लेकर नारेबाजी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से दो टीम गठित की गई। तत्पश्चात थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तगण 1. समीर पुत्र नूर मोहम्मद नि0 वार्ड नं0 15, मोहल्ला जलाल खानी कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 2. साजिद पुत्र अब्दुल रशीद नि0 वार्ड नं0 13, मिर्दो वाला मोहल्ला थाना वेव सिटी गाजियाबाद 3. आमिर पुत्र इस्लामुद्दीन नि0 वार्ड नं0 4, जामा मस्जिद कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 4. शुऐब पुत्र साबुद्दीन नि0 वार्ड नं0 3, पुरानी पैठ कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 5. फरमान उर्फ फर्रू पुत्र इलियास नि0 पुरानी पैठ कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 6. शहजाद सैय्यद पुत्र अमरूद्दीन नि0 वार्ड नं0 13, देवी मंदिर रोड, बाबू कालोनी, कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद को हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण 1. समीर 2. साजिद 3. आमिर 4. शुऐब 5. फरमान उर्फ फर्रू 6. शहजाद सैय्यद उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि हमारे ईष्ट पर दूसरे समुदाय के व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी थी जिससे हमारी धार्मिक भावना का ठेस पहुँची थी जिसके कारण हम लोगों ने गुस्सा होकर इक्ठ्ठा होकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया था सर हम लोगों में उस दिन बहुत गुस्सा था तथा पुलिस द्वारा हमे समझाया व रोका गया परन्तु हम नही माने और फिर हम लोग वहाँ से भाग गये थे। बाद मे हमे पता चला था कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिख गया है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

- समीर पुत्र नूर मोहम्मद नि0 वार्ड नं0 15, मोहल्ला जलाल खानी डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद
- साजिद पुत्र अब्दुल रशीद नि0 वार्ड नं0 13, मिर्दो वाला मोहल्ला थाना वेव सिटी गाजियाबाद
- आमिर पुत्र इस्लामुद्दीन नि0 वार्ड नं0 4, जामा मस्जिद कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद
- शुऐब पुत्र साबुद्दीन नि0 वार्ड नं0 3, पुरानी पैठ डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद
- फरमान उर्फ फर्रू पुत्र इलियास नि0 पुरानी पैठ डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद
- शहजाद सैय्यद पुत्र अमरूद्दीन नि0 वार्ड नं0 13, देवी मंदिर रोड, बाबू कालोनी, कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.10.2024 को वादी द्वारा अभियुक्त सुमित पुत्र धीरज द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध मे थाना लोनी बॉर्डर पर तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।

तत्पश्चात दिनांक 05.10.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त सुमित पुत्र धीरज निवासी निकट जल वाला मन्दिर न्यूराम प्रस्थ विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि वादी मेरा रिश्तेदार है और वादी की पत्नी घर पर नही रहती है तो वादी ने कहा कि आप हमारे घर की रखवाली करते रहना तो मैंने दिनांक 01.10.2024 को वादी के घर पर वादी की नाबालिग पुत्री उम्र 13 वर्ष को अकेला पाकर उसके साथ गलत काम कर दिया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>

सुमित पुत्र धीरज निवासी निकट जल वाला मन्दिर न्यूराम प्रस्थ विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र 24 वर्ष।

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर दुष्कर्म के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.09.2024 को वादी द्वारा विपक्षी वाइस्तवा अभियुक्त दीपक उम्र करीब 22 वर्ष व इसकी बहन व भाई द्वारा वादी की पुत्री उम्र 16 वर्ष को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना लोनी बोर्डर पर तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई।

विवेचना के दौरान दीपक कुमार पुत्र टेकचन्द नि0 हाल शान्ति नगर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद व मूल पता 8-128 ईस्ट मेहराम नगर दिल्ली कैन्ट जिला साउथ वैस्ट दिल्ली उम्र 22 वर्ष का नाम प्रकाश में आया तथा दीपक के भाई व बहन का नाम प्रकाश में नहीं आया। घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी कैमरे, मैनुअल इनपुट आदि की मदद ली गयी। तत्पश्चात दिनांक 03-10-2024 को पीड़िता को बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। विवेचना के दौरान धारा 87 बीएनएस की वृद्धि की गई तथा 3(5) बीएनएस का लोप किया गया।

आज दिनांक 06.10.2024 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र टेकचन्द नि0 हाल शान्ति नगर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद व मूल पता 8-128 ईस्ट मेहराम नगर दिल्ली कैन्ट जिला साउथ वैस्ट दिल्ली को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मेरी उक्त लडकी से पहले से दोस्ती थी और मैं इसे अपनी बातों में लेकर बहला फुसलाकर ले गया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –</u>

दीपक कुमार पुत्र टेकचन्द नि0 हाल शान्ति नगर थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद व मूल पता 8-128 ईस्ट मेहराम नगर दिल्ली कैन्ट जिला साउथ वैस्ट दिल्ली उम्र 22 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बोर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम –</u>

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा गौकशी करने वाले 02 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड में किया घायल/गिरफ्तार , व कब्जे से 02 लोहे के गंडासे, 05 छोटे बड़े छूरे व अन्य सामान एवं घटना में प्रयुक्त कार व अवैध अस्लाह ,कारतूस बरामद ।

दिनांक 05.10.2024 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा LNT चौराहे पर चैकिंग की जा रही थी। चौकिंग के दौरान एक कार सफेद रंग मारुति SX4 आती दिखायी दी जिसको पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। कार चालक द्वारा कार को धीरे करके पास आने पर तेजी गति से NH 24 की ओर भागने लगे। पुलिस द्वारा पीछे करने पर कार चालक द्वारा कार को सजवान नगर गांव की ओर मोड़ दिया जिससे गाड़ी अनियन्त्रित होकर खम्बे से टकराकर कच्चे रास्ते में रूक गयी तथा कार में सावर अभियुक्तों द्वारा कार से उतर कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने लगे। जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी सिखलाये गये तरीके से अभियुक्तों पर फायरिंग की गयी जिसमें दोनो अभियुक्त 1. इनाम पुत्र सगीर अहमद निवासी गाँव बेहडी चौकी रोहाना थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर 2. वासिफ उर्फ भूरा पुत्र अब्दुल खालिद निवासी म0नं0 403,गुल्लर वाली गली,खालापार थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर मौके पर घायल हो गये तथा सजवान नगर रास्ते पर घटना में प्रयुक्त कार व गौशकी के सामान एवं अवैध अस्लाह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त इनाम व वासिफ को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम लोग गौकशी करते है तथा गौ अवशेष को चोरी छिपे बेच देते है तथा जो रूपया मिलता है उसे आपस में बांट लेते है। कुछ दिनों पहले भी हमने इस क्षेत्र से गौकशी की थी और आज भी हम लोग गौकशी करने की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

नाम पता अभियुक्त

1. इनाम पुत्र सगीर अहमद निवासी गाँव बेहडी चौकी रोहाना थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर उम्र 26 वर्ष।
2. वासिफ उर्फ भूरा पुत्र अब्दुल खालिद निवासी म0नं0 403,गुल्लर वाली गली,खालापार थाना कोतवाली नगर जिला मुजफ्फरनगर उम्र 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

1. घटना में प्रयुक्त 01 कार सफेद रंग मारुति SX4 (रजिस्ट्रेशन नम्बर UK04 G 8182)।
2. 02 अवैध तमंचे .315 बोर , 02 जिन्दा , 02 खोखा कारतूस .315 बोर (मुठभेड में बरामद)
3. 02 लोहे के गंडासे, 05 लोहे के छोटे बडे छूरे , 02 मसकरा ,02 रस्से बैरंग व 01 मुहरा रंग लाल।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।